



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268924
CG-DL-E-30122025-268924

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5899]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 5899]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6099(अ).—महानिदेशक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर विनियम, 2024 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर (छठां संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) ये विनियम 1 जनवरी, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर विनियम, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में, विनियम 22 में, खंड (क) में, "छोटे पैकेट" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

3. मूल विनियमों में, विनियम 107 -

(क) उप-विनियम (1) में, "छोटे पैकेट" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

‘(2) अंतरराष्ट्रीय डाक में, “पार्सल डाक” के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय हवाई पार्सल सम्मिलित होगा।’

4. मूल विनियमों में, विनियम 112 का लोप कर दिया जाएगा।

5. मूल विनियमों में, विनियम 128 में, खंड (ख) में, मद (v) का लोप कर दिया जाएगा।

6. मूल विनियमों में, विनियम 138 के उप-विनियम (1) में, “छोटे पैकेट” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

7. मूल विनियमों में, विनियम 143 का लोप कर दिया जाएगा।

8. मूल विनियमों में, अनुसूची-3 में,

(क) आरंभिक भाग में, “112 (5),” और “143 (1),” अंक और कोष्ठक हटा दिए जाएंगे;

(ख) सारणी I में,

(i) आरंभिक भाग में, “सतह” शब्द के स्थान पर “सारणी IV में उल्लिखित अधिभार सहित वायु” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) क्रमांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

(ग) सारणी III का लोप कर दिया जाएगा।

9. मूल विनियमों में, अनुसूची IV में, सारणी VI में, क्रमांक 1 के सामने, “मद” से संबंधित स्तंभ (2) में, “छोटे पैकेट” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

[फा. सं. सीएफ-71/21/2025-सीएफ-डीओपी]

लक्ष्मीकांत दास, उप महानिदेशक (आईआर एवं जीबी)

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 5440(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम बार संख्यांक का.आ. 4907(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2025 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2025

S.O. 6099(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Post Office Act, 2023 (43 of 2023), the Director General, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Post Office Regulations, 2024, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Post Office (Sixth Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the 1st day of January, 2026.

2. In the Post Office Regulations, 2024 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 22, in clause (a), the words “small packets,” shall be omitted.

3. In the principal regulations, in regulation 107,

(a) in sub-regulation (1), the words “small packets,” shall be omitted;

(b) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

‘(2) In the international post, “parcel post” shall include international air parcels’.

4. In the principal regulations, regulation 112 shall be omitted.
5. In the principal regulations, in regulation 128, in clause (b), item (v) shall be omitted.
6. In the principal regulations, in regulation 138, in sub-regulation (1), the words “small packets,” shall be omitted.
7. In the principal regulations, regulation 143 shall be omitted.
8. In the principal regulations, in Schedule III,
 - (a) in the opening portion, the figures and brackets “112 (5),” and “143(1),” shall be omitted;
 - (b) in TABLE I,
 - (i) in the opening portion, for the word “surface”, the words “air along with surcharge mentioned in TABLE IV” shall be substituted;
 - (ii) Sl. No. 2 and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (c) TABLE III shall be omitted.
9. In the principal regulations, in Schedule IV, in TABLE VI, against serial number 1, in column (2) relating to “item”, the words “small packets,” shall be omitted.

[F. No. CF-71/21/2025-CF- DOP]

LAKSHMIKANT DASH, Dy. Director General (IR&GB)

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 5440(E), dated the 16th December, 2024 and lastly amended *vide* number S.O 4907(E), dated the 28th October, 2025.